


उनवान:- बनीसिंह बनाम रामवीर वगै0
 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
24.07.2025	<p>प्रार्थी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 18.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>	<p style="text-align: right;">3801-3805 31/7/25</p>
10/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित बाधनीगण के नोटिस तामीर डीकल पत्रावली पेश हुई है। वाले डीकल नोटिस एवम् दिनांक 24/8/25 को पेश हो।</p>	
24/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी न। लगाया 5 की और से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने कालांतर नामा पेश किया। वाले पत्रावली दिनांक 12.11.25 को पेश हो।</p>	
12/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित कारण उपस्थित। पत्रावली वाले शहीनाम दिनांक 27.11.25 को पेश हो।</p>	
25	<p>बनीसिंह/बकील उमय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली गतानुसार दिनांक 25.11.25 को पेश हो।</p>	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
२४/११/२१	<p>पत्रावली क्षेत्र हुई। वकील उन्मयप्रकाश उपो प्राचीन वकील ने निवेदन किया कि इस उक्त मुकदमे को नहीं चलाना चाहते हैं तथा लक्ष्मी हेतु ग्राहिका पर दफ्तर खर लिये। प्राचीन वकील ने उक्त प्रकार को नोटफ्रेत में खरिद करने हेतु निवेदन किया जिसे सीकर लिये पत्र जारी की जा वाकफ्त नोटफ्रेत में खरिद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली क्षेत्र मुकदमे खर लेकर नकल की कर कर शख्त दफ्तर हो।</p> <p>३</p>